

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची,


दिनांक :- 7-11-12

अधि.सं.—01/स्था.स्थाना./पदस्थापन—11-09/2012—6412—/ निम्नलिखित कार्यपालक अभियंता जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं, को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—04 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विष्णुदेव तांती 3896/04.05.58/मुंगेर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	कार्यपालक अभियंता सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, चांडिल	रिक्त पद पर
2	श्री निरंजन झा 1934/02.01.53/गोड्डा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	रिक्त पद पर

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(संजय शरण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-


6412

राँची, दिनांक :-

7-11-12

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।


(संजय शरण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

6412

राँची, दिनांक :-

7-11-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चांडिल कम्प्लेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ईचा गालूडीह कम्प्लेक्स, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/श्री विष्णुदेव तांती, कार्यपालक अभियंता/ श्री निरंजन झा, कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय शरण)

सरकार के अवर सचिव।